RCMS/2019/00027

फर्द अहकाम
(नियम 15)

अज अदालत संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज0)

श्री गणपतलाल सुथार व अन्य	बनाम	श्री भंवरलाल ब्राहम्ण व अन्य, निम्बाहेडा

किस्म मुकदमा निगरानी/अपील/मुकदमा नं. 23 सन 2019 अपील

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	
13.05.2019	पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। वकील अपीलान्ट की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एक तरफा बहस सुनी गई। प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलान्ट के पक्ष का होना प्रतीत होता है तथा पक्षकारों के मध्य अनावश्यक विवाद नहीं बढ़े, इस हेतु प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 10.06.2019 तक तहसीलदार (भू.अ.) निम्बाहेडा के आदेश दिनांक 02.05.2019 की पालना स्थगित करने, वादग्रस्त भूमि के वर्तमान राजस्व रेकार्ड एवं मौके की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करने एवं यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया जाता है। आगामी पेशी दिनांक को तहसीलदार (भू.अ.) निम्बाहेडा की व्यक्तिशः उपस्थिति हेतु भी लिखा जावे। रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन/नोटिस जारी हो। तहत का अभिलेख प्राप्त किया जाकर पत्रावली दिनांक 10.06.2019 को पेश हो।		
5/6/19	आज दिनांक 5.6.19 को वकील अपीलान्ट मय अपीलार्थी श्री [illegible] ने उपस्थित होकर पत्रावली मिसल के शामिल किये जाने बाबत अनुरोध किया और प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रा करने बाबत पेश किया। पत्रावली मिसल के शामिल की गई। वकील अपीलान्ट व अपीलार्थी उक्त प्रकरण के रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध अब कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। इसलिए इसी स्तर पर अपील विड्रा करने का अनुरोध किया। अपीलार्थी [illegible] PTO		

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	
	प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। अपीलान्ट प्रकरण मे रेस्पोडेंट के विरुद्ध अब आगे कोई कार्यवाही नही चाहता है अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील विड्रा की आज्ञा स्वीकार किया जाता है। प्रस्तुत अपील इसी स्टेज पर खारिज की जाती है। अतः पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर [illegible] हो।		